समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 146/।।/2011 विरूद्व आदेश दिनांक 06–01–2011– पारित–अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर–प्रकरण कमांक 596 /06–07 निग0

1– जमना पुत्र बालादीन कुर्मी
2– गंगा पुत्र बालादीन कुर्मी
3– लखन पुत्र श्यामलाल कुर्मी
4– गुलाव पुत्र श्यामलाल कुर्मी
5– मुन्ना 6– कैलाश 7– रामस्वरूप
8– भरत चारों पुत्रगण छन्नू कुर्मी
9– श्रीमती विटटीवाई पत्नि स्व. छन्नू
10– गंसू पुत्र राजे कुर्मी
सभी निवासीगण ग्राम मौराहा
तहसील व जिला छतरपुर, म0प्र. ––आवेदकगण

विरूध्द

1– परम पुत्र जगजीत कुर्मी
2– धरम(मृतक) पुत्र जगजीत कुर्मी

वरिस

(अ) सिमरदावाली पत्नि स्व.धरम
(ब) बच्चू (स) इन्द्रपाल (द) सुश्री रामरती
(क) सुश्री सुकरत सभी पुत्र पुत्री धरमदास
3– हलके पुत्र जगजीत कुर्मी
4– बाबू पुत्र जगजीत कुर्मी
5– सुश्री माना पुत्री जगजीत कुर्मी
सभी निवासी ग्राम मौराहा तहसील छतरपुर

आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव
अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी

आदेश

(आज दिनांक 11 – 4 – 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 596/अ–6/06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06–01–2011 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 (आगे जिसे संहिता अंकित किया है) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्वर्गीय जगजीत कुर्मी निवासी ग्राम मोराहा ने तहसीलदार छतरपुर के समक्ष संहिता की धारा 115/116 तथा 109/110 के अंतर्गत आवेदन देकर तहसील न्यायालय के मूल दावे में वर्णित भूमि को पैत्रिक बताते हुये खसरे में हुई गलत नामों के प्रविष्टि के सुधार की प्रार्थना की। तहसीलदार छतरपुर ने प्रकरण कमांक 40/अ-6-अ/2001–02 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 19.9.2005 पारित किया एंव आवेदन अग्राह्य होना मानकर निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 17/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–5–06 से निर्धारित किया गया कि कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 110/अ–6–अ/02–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2–8–05 से उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के निर्देश थे , का तहसीलदार ने पालन नहीं किया, इसलिये तहसीलदार का आदेश दिनांक 19.9.05 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी के उक्तादेश के विरूद्व अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 66/अ–6–अ/06–07 में पारित आदेश दिनांक 26–4–07 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 3–5–06 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 596 अ–6/06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06–01–2011 से निगरानी स्वीकार की गई एंव अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 26–4–07 निरस्त किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने एंव आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से विचार योग्य बिन्दु है कि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 19—9—2005 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ? प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि तहसीलदार के मूल प्रकरण पर से कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रकरण कमांक 110/अ—6—अ/02—03 निगरानी दायर हुई एंव कलेक्टर छतरपुर व्दारा पारित आदेश दिनांक 2—8—05 से उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर पुर्ननिर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार छतरपुर को निर्देश दिये गये है। प्रकरण में आये तथ्यों से प्रतीत होता है कि कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 110/अ—6—अ/02—03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2—8—05 के विरूद्व वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी नहीं हुई है, स्पष्ट है कि कलेक्टर का यह आदेश अंतिमता लिये है और तहसीलदार ने इस आदेश की अनदेखी करते हुये उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश दिनांक 19—9—05 से मूल दावा निरस्त कर दिया, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर ने आदेश दिनांक 3—5—06 से तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 2—8—05 अनुसार कार्यवाही करने हेतु अर्थात उभय पक्ष को श्रवण कर गुणदोष के आधार पर निर्णय हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की, किन्तु अपर कलेक्टर छतरपुर ने कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 2—8—05 की अनदेखी करते हुये निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 3—5—06 को निरस्त करने में त्रृटि की गई, जिसके कारण अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 596/अ—6/06—07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06—01—2011 से अपर कलेक्टर, छतरपुर के प्रकरण कमांक 66/अ—6—अ/06—07 में पारित आदेश दिनांक 26—4—2007 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 596/अ–6/06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06–01–2011 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अस्तु निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर